राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/आरकेसी/2017/

दिनांक :

आदेश

फर्म मैसर्स M/s Jai Hathkargha Vastra Utpadak Sahkari Samiti Ltd, 21, Sharma Colony Vistar, Kartarpura Indl. Area, Bais Godam, Jaipur (Raj.) (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या **RAJ/JPR/96** प्रपत्र 25 पर दिनांक 17.10.2012 को जारी जो दिनांक 16.10.2017 तक वेद्य है। श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक, सेठी कॉलोनी, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी/एम.एस.एस./2016/1818 दिनांक 20.12. 2016 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 04.01.2017 को सयुंक्त रूप से फर्म का निरीक्षण श्री कमलेश कुमार जांगिड, अध्यक्ष समिति/फर्म की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण आपको उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक **ADC(R.K.C.)/Mfg. Cotton 16/2017/18** दिनांक 10.03. 2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। फर्म ने अपने पत्र कमांक JAI/D/2017 दिनांक 05.04.17 (प्रप्ति दिनांक 05.04.2017) के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

यह कि कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत लाईसेंसी का जवाब, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब निम्न कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया एवं अनियमितता किया जाना प्रमाणित हुआ।

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवायी गयी।	समिति का समय–समय पर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण रिपोर्टों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 3 से 31)	जवाब के साथ संस्था ने विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदन की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है परन्तु अधिनियम के फार्म 35 के अनुसार निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नही कराई गई तथा संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब संतोषजनक नही है एवं माने जाने योग्य भी नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	परिसर में फर्म का नाम प्रदर्शित नहीं पाया गया।	समिति का प्रदर्शित नाम बोर्ड का पेन्ट खराब होने के कारण दोबारा पेन्ट होने के लिये दिया गया था। अब समिति द्वारा लगा दिया गया है।	संस्था द्वारा जबाब दिया गया कि "समिति का प्रदर्शित नाम बोर्ड का पेन्ट खराब होने के कारण दोबारा पेन्ट होने के लिये दिया गया था" अतः प्रस्तुत जवाब से स्वतः ही स्पष्ट है कि फर्म ने स्वीकार किया है कि फर्म का नाम प्रदर्शित नहीं था।	अनियमितता प्रमाणित है
3	फर्म पर अनुमोदित मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट श्री पवन कुमार शर्मा एवं एनालिटिकल केमिस्ट श्री विजय कुमार शर्मा अनुपस्थित पाये गये।	समिति के पास गॉज बैण्डेज की आपूर्ति मांग नहीं होने के कारण उत्पादन कार्य माह जून, 2016 से बंद था। समिति में मैन्यूफैक्चरिंग कैमिस्ट पवन कुमार शर्मा एवं एनालिटिकल कैमिस्ट श्री विजय कुमार शर्मा स्थाई रूप से समिति के तथा हर महीने वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन भुगतान वाउचर की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 185 से 391)	मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट श्री पवन कुमार शर्मा एवं एनालिटिकल केमिस्ट श्री विजय कुमार शर्मा अनुपस्थित पाये गये के कम में संस्था का जबाब संतोषजनक नही है एवं माने जाने योग्य भी नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
4	लाईसेंस परिसर में किसी भी प्रकार की गॉज/बेण्डेज का निर्माण कार्य नहीं किया जाना पाया गया एवं गॉज/बेण्डेज का निर्माण गत छः माह की अवधि में	समिति के पास गॉज बैण्डेज की आपूर्ति मांग नहीं होने के कारण जून, 2016 से उत्पादन कार्य आज दिनांक तक बंद है तथा	जवाब के साथ बैच अलोकेशन रजिस्टर/अन्य संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण	अनियमितता प्रमाणित है

13/4/17

	नहीं किया गया पाया गया एवं गॉज/बेण्डेज का भौतिक स्टॉक शून्य पाया गया।	गॉज बैण्डेज का स्टॉक निल है।	जवाब संतोषजनक नही है एवं माने जाने योग्य भी नही है।	
5	संस्था द्वारा पिछले 6 माह से कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई है इस संबंध में श्री कमलेश जांगिड, समिति के अध्यक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।	गॉज–बैण्डेज का उत्पादन कार्य बंद होने के कारण टेस्टिंग कार्य भी नहीं हो रहा है। लास्ट बैच की टेस्ट रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है। (क्र. सं. 182 से 184)	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
6	फर्म पर गॉज/बेण्डेज के विक्रय बाबत संधारित करंट बिल बुक मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई।	बिल बुक अकाउन्टेन्ट को अकाउन्टिंग के लिये गई हुई थी।	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
7	संस्था के पिछले तीन वर्षों के बिजली के बिलों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई।	लाईसेन्स परिसर समिति ने किराये पर ले रखा है तथा बिल्डिंग मालिक श्री राजेश छावडा के नाम से बिजली कनेक्शन है। समिति ने अपने परिसर में सबमीटर लगा रखा है। समिति सबमीटर अनुसार बिल का भुगतान करती है। बिलों की एवं पेमेन्ट वाउचरों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 32 से 50)	जवाब के साथ सबमीटर के संबंध में रजिस्टर/अन्य संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब संतोषजनक नही है एवं माने जाने योग्य भी नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
8	संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो में गॉज बेण्डेज के निर्माण बाबत खरीद किये गये सूत के बिल/ट्रांसपोर्ट बिल्टी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।	समिति द्वारा 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में खरीद गये सूत व हैण्डलूम गॉज बैण्डेज क्लोथ के बिलों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 50 से 70) 1. 2014–15 में समिति द्वारा किया गया उत्पादन का विवरण व सैल बिलों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 71 से 145) 2. 2015–16 में आपूर्ति मांग नहीं होने के कारण गॉज बैण्डेज का उत्पादन कार्य बंद था। (क्र. सं. 146) 3. 2016–17 में समिति द्वारा किया गया उत्पादन का विवरण व सैल बिलो की फोटोप्रति तथा प्रथम बैच तथा लास्ट बैच की टेस्ट रिपोर्टो की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 147 से 184)	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
9	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन साल में भुगतान की गई सैलेरी की जांच बाबत कर्मचारी हाजरी रजिस्टर/उपस्थिति पंजिका, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं पेमेंट स्लीप इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई।	समिति द्वारा पिछले तीन सालों में भुगतान की गई सैलेरी के वाउचरों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 185 से 391)	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है
10	संस्था द्वारा गॉज/बेण्डेज के थान की ब्लीचिंग बाबत पूछने पर बताया गया कि ब्लीचिंग किया हुआ थान ही खरीदा जाता है परन्तु इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।	समिति द्वारा हैण्डलूम गॉज बैण्डेज ग्रे कपडा उत्पादित व खरीद की जाती है। ग्रे कपडा की ब्लीचिंग करायी जाती है। ब्लीचिंग बिलों की फोटोप्रति संलग्न है। (क्र. सं. 392 से 394)	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है। क्योंकि जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही किया गया है।	अनियमितता प्रमाणित है।
11	संस्था के परिसर में गॉज/बेण्डेज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला किसी भी प्रकार का हैण्डलूम नहीं पाया गया एवं केवल एक रॉलिंग मशीन (मैन्युअल) एवं एक कटिंग मशीन संधारित पायी गई।	समिति द्वारा हैण्डलूम लाईसेंस परिसर में नही लगाा रखी है। समिति सदस्यों ने अपने घरों पर हैण्डलूम लगा रखी है।	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ ।। सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तों (नियम 74 के विभिन्न बिन्दु जो प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाना प्रमाणित हैं।

अनुमोदित
13/4/2017

अतः मैं राज कमल छीपा, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ/JPR/96 प्रपत्र 25 पर दिनांक 17.10.2012 को जारी जो दिनांक 16.10.2017 तक वेद्य है को 02 माह (05.05.2017 से 04.07.2017 तक) के लिये निलम्बित करता हूँ।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

(राजकमल छीपा)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/आरकेसी/2017/ 42

दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक–प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. फर्म मैसर्स M/s Jai Hathkargha Vastra Utpadak Sahkari Samiti Ltd, 21, Sharma Colony Vistar, Kartarpura Indl. Area, Bais Godam, Jaipur (Raj.) को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि में स्वीकृत उत्पाद (सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार) निर्माण, क्रय एवं विक्रय बंद रखें, तथा दिनांक 04.05.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये अन्तिम विक्रय बिल तथा दिनांक 05.07.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये प्रथम विक्रय बिल मय दस्तावेज यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)
11. श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना यथा समय सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
12. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
13. थानाधिकारी, पुलिस थाना, महेश नगर, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।
14. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई–मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

13/4/2017

(राजकमल छीपा)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।